

अनुमति की शर्तें ।

- (ii) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (iii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक राजकीय, व्यवहारीक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iv) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आयेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (v) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 687 दिनांक 25/08/2020
 धार्मीगण 10 सीमा 5000 अक्षर खंड 9 रैयर खण्ड एवं
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 10 मोविन खंड पत्की-पुल की लैण्ड खण्ड
 धारा 194 (1) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश P.No: 34 सिट्टी मुसलमान बस्ती अमुष्मि
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7500/- प्रमा
 जरिये रसीद नम्बरा 2069/2754 2755
 दिनांक 25/08/2020 को जमा करा दी है ।

25/08/2020

सहायक नगर निगम
 नगर निगम, जोधपुर

पी + 1
 आवासीय

25/08/2020